प्रयोजन

वित्तीय विवरणों की "लेखे पर टिप्पणियां" में प्रकटीकरणों के मामले में अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करना।

पूर्व अनुदेश

इस मास्टर परिपत्र में अनुबंध 4 में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित उपर्युक्त विषय पर अनुदेशों को समेकित और अद्यतन किया गया है।

प्रयोज्यता

सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं अर्थात् एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी।

संरचना

1	प्रस्तावना
2	प्रकटीकरण अपेक्षाओं पर दिशानिर्देश
2.1	पूंजी
2.2	आस्ति गुणवत्ता और ऋण का सकेंद्रण
2.3	चलनिधि
2.4	परिचालन परिणाम
2.5	प्रावधानों में घट-बढ़
2.6	पुनर्रचित खाते
2.7	प्रतिभूतीकरण कंपनी /पुनर्रचना कंपनी को बेची गयी आस्तियां
2.8	वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप
2.9	ब्याज दर डेरिवेटिव
2.10	गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश
2.11	समेकित वित्तीय विवरण
2.11.1	समेकन का विस्तार
2.11.2	लेखा नीतियां
2.12	डेरिवेटिव में जोखिम
2.13	ऐसे एक्सपोज़र जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमाओं का उल्लंघन किया है

2.14	लेखे पर टिप्पणियों के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटीकरण
2.15	परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संवर्ग के अंतर्गत रखे गए निवेश की बिक्री
टिप्पणी	
I.	सीआरएआर तथा अन्य मानदंड
II.	आस्ति गुणवत्ता और ऋण संकेंद्रण
III	ऋण एक्सपोज़र
IV	पूंजीगत निधियां
V	`उधारकर्ता समूह' की परिभाषा
VI	आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता ढांचा
VII	परिचालनगत परिणाम
VIII	प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना
अनुबंध-1	ऋण प्रतिभूतियों में निवेश हेतु जारीकर्ता संघटकों के प्रकटन के लिए फार्मेट
अनुबंध-2	डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र के संबंध में प्रकटीकरण
गुणात्मक प्रकटीकरण मात्रात्मक प्रकटीकरण	
अनुबंध-3	अतिरिक्त प्रकटीकरण
अनुबंध-4	मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

1. **प्रस्तावना**

वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित अपने वित्तीय विवरणों में किये गये प्रकटन के स्वरूप और पद्धति में विद्यमान व्यापक विभिन्नता को देखते हुए उनके द्वारा अपनायी गयी प्रकटन पद्धतियों में एकरूपता लाने तथा उनके कार्यों की पारदर्शिता में सुधार लाने के उद्देश्य से मार्च 2001 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटन मानदंड लागू किये थे। ऐसे प्रकटन जो वित्तीय वर्ष 2000-2001 से प्रभावी हुए थे और बाद में जिनमें वृद्धि की गई थी, "लेखे पर टिप्पणियां" के एक भाग के रूप में किए जाने अपेक्षित हैं, चाहे वही जानकारी प्रकाशित वित्तीय विवरणों में अन्यत्र भी मौजूद क्यों न हो, ताकि लेखा परीक्षक उन्हें प्रमाणित कर सकें। ये प्रकटन केवल न्यूनतम हैं और यदि कोई वित्तीय संस्था कोई अतिरिक्त प्रकटन करना चाहती हो तो उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

2. **प्रकटीकरण अपेक्षाओं पर दिशानिर्देश**

विविध प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

2.1 **पूंजी**

(क) जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) स्थायी जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात और अनुपूरक जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात

(ख) टियर- II पूंजी के रूप में जुटायी गयी तथा बकाया अधीनस्थ ऋण की राशि

(ग) जोखिम भारित आस्तियां-तुलन पत्र में शामिल होनेवाली और शामिल न होनेवाली मदों के लिए अलग-अलग

(घ) तुलन पत्र की तारीख को शेयर धारिता का स्वरूप

2.2 आस्ति गुणवत्ता और ऋण का सकेंद्रण

(ङ) निवल उधारों तथा अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत

(च) निर्दिष्ट आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों के तहत निवल अनर्जक आस्तियों की राशि और प्रतिशत

(छ) मानक आस्तियों, अनर्जक आस्तियों, निवेशों (अग्रिम के रूप में होनेवाले निवेशों को छोड़कर) आयकर हेतु वर्ष के लिए किये गये प्रावधानों की राशि

(ज) निवल अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़

(झ) निम्नलिखित के संबंध में पूंजीगत निधियों तथा कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोज़र

- सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता ;
- सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह;
- सबसे बड़े 10 एकल उधारकर्ता;
- सबसे बड़े 10 उधारकर्ता समूह;

(उधारकर्ताओं/उधारकर्ता समूहों के नाम प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है)

(ञ) कुल उधार आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सबसे बड़े पांच औद्योगिक क्षेत्रों (यदि लागू हो तो) को ऋण एक्सपोजर

2.3 चलनिधि

(ट) रुपया आस्तियों तथा देयताओं के संबंध में परिपक्वता अवधि का स्वरूप; तथा

(ठ) निम्नलिखित फार्मेट में विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं की परिपक्वता अवधि का स्वरूप

मदें	1 वर्ष या उससे कम	एक वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	कुल
रुपया आस्तियाँ						
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ						
कुल आस्तियाँ						
रुपया देयताएं						
विदेशी मुद्रा देयताएं						
कुल देयताएं						
जोड़						

2.4 परिचालन परिणाम

(ड) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय

(ढ) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज से इतर आय

(ण) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ

(त) औसत आस्तियों पर प्रति लाभ

(थ) प्रति कर्मचारी निवल लाभ

2.5 प्रावधानों में घट-बढ़

अनर्जक आस्तियों के लिए धारित प्रावधानों में घट-बढ़ और निवेश संविभाग में मूल्यह्रास को निम्नलिखित फार्मेट में प्रकट किया जाना चाहिए :

I. *अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान (अग्रिम तथा अंतर-कंपनी जमा के रूप में ऋणों, बांडों तथा डिबेंचरों को शामिल करते हुए)* (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)

क) वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष

जोड़ें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान

घटाएं : अतिरिक्त प्रावधान का पुनरांकन, बट्टे खाते डालना

ख) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष

II. *निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान*

ग) वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष

जोड़ें :
i. वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान
ii. वर्ष के दौरान निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि खाते से विनियोग, यदि कोई हो

घटाएं :

i. वर्ष के दौरान बट्टे खाते
ii. निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि खाते में अंतरण, यदि कोई हो

घ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष

2.6 पुनर्रचित खाते

2.6.1 ऋण आस्तियों और पुनर्रचना आदि के अधीन अवमानक आस्तियों /संदिग्ध आस्तियों की कुल राशि अलग-अलग प्रकट की जाये।

2.6.2 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा

1. जैसा कि 03 मई 2013 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य 2013-14 के पैरा 81 में सूचित किया गया है, 'बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश' को इस संबंध में गठित कार्यदल (अध्यक्षः श्री बी. महापात्र) की संस्तुतियों और दिनांक 31 जनवरी 2013 को बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.21.04.132/2012-13 द्वारा जारी प्रारूप दिशानिर्देशों पर प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है।

2. संशोधित अनुदेश अनुबंध 4 में दिए गए हैं जिनमें उक्त विषय के संबंध में केवल परिवर्तित सिद्धांतों/अनुदेशों का वर्णन किया गया है। अतएव इन दिशानिर्देशों को उक्त विषय पर दिए गए उन अनुदेशों के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए जो 'अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड' पर 02 जुलाई 2013 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.048/2012-13 के भाग ख में दिए गए हैं। उक्त मास्टर परिपत्र दिनांक 27 अगस्त 2008 को जारी 'अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश', परवर्ती परिपत्रों तथा मेल-बॉक्स स्पष्टीकरणों का नवीनतम संकलन है।

2.6.3 पुनर्रचित खातों के ब्यौरे

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	पुनर्रचना की श्रेणी →		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्रचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण → ब्योरे ↓		मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया शेष																				
		उन पर																				

	के अनुसार पुनर्रचित खाते (आरंभिक आंकड़े)*	प्रावधान																				
2	वर्ष के दौरान नवीन पुनर्रचित अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उन पर प्रावधान																				
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया शेष																				
		उन पर प्रावधान																				
4	पुनर्रचित मान	उधारकर्ताओं																				

	क खाते जिन पर वित्तीय वर्ष के समापन पर उच्चतर प्रावधान और/अथवा जोखिमभार लागू नहीं रह गया है और इसलिए जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पुनर्र	की संख्या																				
		बकाया शेष																				
		उन पर प्रावधान																				

	चित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की जरूरत नहीं है।																					
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों की श्रेणी को अवनत करना	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उन पर प्रावधान																				
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				

	खातों के राइट - ऑफ	उन पर प्रावधान																				
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार पुनर्रचित खाते (अंतिम आंकड़े)*	उधार कर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उन पर प्रावधान																				
* उन मानक पुनर्रचित अग्रिमों से संबंधित आंकडों को छोडकर जिनके लिए उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार (यदि लागू हो तो) की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।																						

उक्त फार्मेट में प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित अनुदेशों का अनुपालन अपेक्षित है-

(i) सीडीआर प्रणाली, एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली तथा पुनर्रचना की अन्य श्रेणियों को अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

(ii) उक्त प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, उनके मौजूदा आस्ति वर्गीकरण के अंतर्गत पुनर्रचित अग्रिमों को, अर्थात् मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि को अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

(iii) ‘मानक’ पुनर्रचित खातों के अंतर्गत ऐसे खातों को प्रकट करना आवश्यक नहीं है जिनके संबंध में वस्तुनिष्ठ प्रमाण हो कि उनमें अब कोई अन्तर्निहित ऋण समस्या नहीं है। इस प्रयोजन के लिए, ऐसे खातों के लिए जिनमें अंतर्निहित ऋण समस्या नहीं है वस्तुनिष्ठ मानदंड निम्न प्रकार से हैः

(क) जहां तक मानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों का संबंध है, ऐसे खातों में अंतर्निहित ऋण समस्या के कारण, बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे मानक खातों में पुनर्रचना की तिथि से पहले दो वर्षों में किए जाने वाले अपेक्षित प्रावधान से उच्चतर सामान्य प्रावधान करें। पुनर्रचना के बाद ब्याज/मूलधन के भुगतान पर अधिस्थगन की स्थिति में, ऐसे अग्रिमों पर स्थगन की अवधि में तथा उसके बाद दो वर्ष की अवधि तक उच्चतर सामान्य प्रावधान लागू होगा।

(ख) इसी क्रम में, पुनर्रचित मानक अनरेटेड कारपोरेट एक्सपोजर तथा आवास ऋण को भी 25 प्रतिशत अंक का अतिरिक्त जोखिम भार दिया जाता है ताकि ये अंतर्निहित जोखिम के उच्चतर भाग को दर्शाएं जो ऐसी संस्थाओं में अप्रकट तौर पर मौजूद रहते हैं (देखें 'पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड और बाजार अनुशासन - नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन पर दिनांक 27 अप्रैल 2007 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.90/20.06.001/2006-07 के पैराग्राफ 5.8.3 और बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश पर दिनांक 3 नवंबर 2008 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.76/21.04.0132/2008-09 के पैराग्राफ 4 से क्रमशः)।

(ग) पूर्वोक्त [(क) तथा (ख)] अतिरिक्त/उच्चतर प्रावधान तथा जोखिम भार निर्धारित अवधि के बाद तब लागू नहीं रह जाते हैं जब उनका कार्य निष्पादन पुनर्निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होता है। तथापि उचित मूल्य में आई कमी को प्रत्येक तुलनपत्र तिथि के अनुसार आकलित करना होगा तथा यथोपेक्षित प्रावधान करने होंगे।

(घ) पुनर्रचित खातों की प्रावधान करने संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अवमानक तथा संदिग्ध (अनर्जक) परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों को जब मानक श्रेणी खातों के रूप में अपग्रेड कर दिया जाता है तो उन पर भी अपग्रेड होने की तिथि से पहले वर्ष तक अन्यथा मानक खातों के लिए अपेक्षित प्रावधान से उच्चतर सामान्य प्रावधान लागू होगा। यदि खाते का कार्य निष्पादन पुनर्निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो तो यह उच्चतर प्रावधान अपग्रेड होने की तिथि से एक वर्ष के बाद लागू नहीं रह जाता है। तथापि उचित मूल्य में आई कमी को प्रत्येक तुलनपत्र तिथि के अनुसार आकलित करना होगा तथा यथोपेक्षित प्रावधान करने होंगे।

(ङ) ऊपर निर्दिष्ट अवधि के दौरान यदि एक बार पुनर्रचित मानक अग्रिमों पर उच्चतर प्रावधान एवं/अथवा जोखिम भार (लागू होने पर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए के अनुसार) संतोषजनक प्रदर्शन के कारण वापस सामान्य स्तर पर आ जाते हैं, तो ऐसे अग्रिमों के संबंध में बैंकों से अब यह अपेक्षित नहीं रह

जाएगा कि वे उन्हें अपने वार्षिक तुलन-पत्र में "खातों के संबंध में टिप्पणियां" में पुनर्रचित मानक खातों के रूप में प्रकट करें। तथापि, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा पुनर्रचित खातों के उचित मूल्य में आयी ऐसी कमी के लिए पुनर्रचित खातों पर प्रावधान करना जारी रखा जाना चाहिए।

(iv) इन प्रकटीकरणों में पुनर्रचित एनपीए खातों के अपग्रेडेशन तथा अवनति दोनों की स्थिति में श्रेणी के भीतर होने वाली प्रगति-अवनति को भी दर्शाया जाना चाहिए। ये प्रकटीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों में वृद्धि, अपग्रेडेशन, डाउनग्रेडेशन, राइट ऑफ इत्यादि के कारण होने वाली प्रगति-अवनति को दर्शायेंगे।

(v) पुनर्रचित खातों की स्थिति प्रकट करते समय बैंकों के लिए उन उधारकर्ताओं के पुनर्रचित भाग या सुविधा के साथ-साथ सभी खातों/सुविधाओं में कुल बकाया रकम को प्रकट करना अनिवार्य है जिनके खाते पुनर्रचित किए गए हैं। इसका मतलब है कि किसी उधारकर्ता के किसी एक खाते/सुविधा की पुनर्रचना की गई हो तो भी, बैंक को उस खास उधारकर्ता के सभी खातों/सुविधाओं से संबंधित समस्त बकाया रकम को दर्शाना चाहिए।

(vi) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन (प्रकटीकरण फार्मेट में क्रम सं. 3) का तात्पर्य है 'पुनर्रचित एनपीए' का 'अवमानक या संदिग्ध श्रेणी', जैसा भी मामला हो, से मानक आस्ति वर्गीकरण में प्रस्थान। इन पर समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले 'निर्धारित अवधि' के दौरान उच्चतर प्रावधान और/अथवा जोखिम भार लागू होंगे। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रस्थान को संबंधित श्रेणी में क्रमशः (-) तथा (+) प्रतीकों से दर्शाया जाएगा।

(vii) श्रेणी में से सामान्य मानक अग्रिमों के रूप में पुनर्रचित मानक अग्रिमों के प्रस्थान (प्रकटीकरण फार्मेट में क्रम सं. 4) को "मानक" स्तंभ में (-) चिन्ह द्वारा दर्शाया जाएगा।

(viii) एक श्रेणी से दूसरी निम्न श्रेणी में प्रस्थान संबंधित श्रेणियों में (-) तथा (+) प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाएगा।

(ix) अपग्रेडेशन, डाउनग्रेडेशन तथा राइट ऑफ अपने मौजूदा आस्ति वर्गीकरणों से हैं।

(x) सभी प्रकटीकरण मौजूदा आस्ति वर्गीकरण के आधार पर हैं न कि 'पुनर्रचना के पूर्व के आस्ति वर्गीकरण' के आधार पर।

(xi) मौजूदा पुनर्रचित खाते के लिए अतिरिक्त/नयी मंजूरियों को 'वर्ष के दौरान की गयी पुनर्रचना' पर क्रम सं 2 पर इस फुटनोट के साथ दिखाया जा सकता है कि क्रम सं.2 के अंतर्गत शामिल रु. xxx करोड़ (खातों की संख्या और प्रावधान) मौजूदा पुनर्रचित खातों में

अतिरिक्त / नयी मंजूरी है । इसी तरह, पुनर्रचित खातों की मात्रा में कटौती को एक फुटनोट के साथ क्रम सं 6 पर 'वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए पुनर्रचित खाते' के अंतर्गत दर्शाया जा सकता है तथा फुटनोट में दिखाया जा सकता है कि इसमें बिक्री / वसूली के माध्यम से मौजूदा पुनर्रचित खातों से रु. xxx (खातों की संख्या और प्रावधान) की कटौती भी शामिल है ।

(xii) 31 मार्च की स्थिति के लिए वित्तीय वर्ष का अंतिम शेष का, 1 अप्रैल की स्थिति के लिए वित्तीय वर्ष का प्रारंभिक शेष + मौजूदा पुनर्रचित खाते के लिए अतिरिक्त / नयी मंजूरियों को शामिल करते हुए 'वर्ष के दौरान की गयी पुनर्रचना' + आस्तियों की श्रेणियों में परस्पर विचरण के लिए समायोजन - पुनर्रचित मानक अग्रिम जिसमें उच्च जोखिम भारिता और/या प्रावधान नहीं है - बट्टे खाते में डालना/ बिक्रि / वसूली के कारण कटौती, आदि के साथ अंकगणितीय तुलन होना चाहिए। यद्यपि, कुछ अप्रत्याशित / किसी अन्य कारण से, अंकगणितीय तुलन नहीं होता है, तो अंतर का समाधान किया जाना चाहिए तथा फुटनोट में उसका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

2.7 आस्तियों की पुनर्रचना हेतु प्रतिभूतीकरण /पुनर्रचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्योरे

		(राशि करोड ₹ में)
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) खातों की संख्या (ii) एस सी/ आर सी को बेचे गये खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर) (iii) कुल प्रतिफल (iv) पिछले वर्षों में अंतरित किए गए खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल (v) निवल बही मूल्य की तुलना में कुल लाभ / हानि		

प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री और संबंधित मुद्दों पर दिशानिर्देश

दिनांक 03 फरवरी 2015 के छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15 के पैरा 28 में घोषित किए अनुसार अखिल भारतीय मीयादी ऋण और पुनर्वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं (एआईएफआई) को एनपीए की बिक्री (एससी/आरसी को 26 फरवरी 2014 से पहले बेची गई) पर अधिशेष प्रावधान को (जब बिक्री एनबीवी से अधिक मूल्य पर हुई हो) उनके लाभ हानि लेखे में प्रति प्रविष्ट किए जाने की अनुमति प्रदान दी गई है । अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं एनपीए के बिक्री पर उत्पन्न होने वाले अधिशेष प्रावधान को केवल तभी प्रति प्रविष्ट कर सकती हैं जब प्राप्त हुई नकद राशि (शुरुआती प्रतिफल और/अथवा जमानती रसीदों/ पास-थ्रू-प्रमाणपत्रों के उन्मोचन द्वारा) एससी/आरसी को बेची गई एनपीए की एनबीवी से अधिक रही हो ।

3. इसके साथ ही, लाभ तथा हानि खाते में प्रति-प्रविष्ट किए गए अधिशेष प्रावधान की मात्रा बेचे गए एनपीए के एनबीवी की तुलना में प्राप्त नकद राशि के आधिक्य तक सीमित होगी। एनपीए की बिक्री पर लाभ तथा हानि खाते में प्रति-प्रविष्ट किए गए अधिशेष प्रावधान की मात्रा को बैंकों के वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'लेखे पर टिप्पणियों' के तहत प्रकट करना होगा।

4. पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, उपर्युक्त वर्णित प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अलावा, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में लेखे पर टिप्पणियों के तहत निम्नलिखित प्रकटीकरण करने होंगे:

						(करोड़ रुपये में)
विवरण	एनपीए द्वारा समर्थित जिनको एआईएफआई द्वारा अंतर्निहित (अंडरलाईंग) के रूप में बेचा गया		एनपीए द्वारा समर्थित जिनको बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अंतर्निहित (अंडरलाईंग) के रूप में बेचा गया		कुल	
	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
जमानती रसीदों में निवेशों का बही मूल्य						

2.8 वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप

तुलन पत्र पर टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटीकरण किये जाने चाहिए :

वायदा दर करार/ ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप)

		(राशि करोड़ ₹ में)
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) अदला-बदली करारों का आनुमानिक मूलधन		
(ii) यदि प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) करारों के अंतर्गत निर्धारित अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते तो होनेवाली हानियां		
(iii) अदला-बदली में शामिल होने पर बैंकों द्वारा		

अपेक्षित संपार्श्विक जमानत		
(iv) अदला-बदली से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेद्रण$		
(v) अदला-बदली बही का उचित मूल्य @		
टिप्पणी:		
ऋण तथा बाजार जोखिम पर सूचना सहित अदला-बदली की प्रकृति और शर्तों तथा अदला-बदली के अभिलेखन के लिए अपनायी गयी लेखा नीतियों को भी प्रकट करना चाहिए।		
$ संकेद्रण के उदाहरण विशेष उद्योगों में ऋणादि जोखिम अथवा अत्यधिक गतिशील कंपनियों के साथ अदला-बदली हो सकते हैं।		
@ यदि अदला-बदली विशेष आस्तियों, देनदारियों या प्रतिबद्धताओं से जुड़ी हुई हैं, तो तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार बैंक जो अनुमानित राशि प्राप्त करेगा या अदला-बदली करारों को समाप्त करने के लिए भुगतान करेगा, वह अनुमानित राशि उचित मूल्य होगी। लेनदेन अदला-बदली के लिए उचित मूल्य उसका बाज़ार मूल्य होगा ।		

2.9 ब्याज दर डेरिवेटिव

एक्सचेंजों में ब्याज दर डेरिवेटिव का कारोबार करनेवाली वित्तीय संस्था तुलन-पत्र में `लेखे पर टिप्पणियों' के एक भाग के रूप में निम्नलिखित ब्योरा प्रकट करें :

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	वर्ष के दौरान एक्सचेंजों में लेनदेन किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव व्यापार की कल्पित मूल धन राशि (लिखत वार) क) ख) ग)	
2	एक्सचेंजों में किये गये लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव की 31 मार्च .. . . . को बकाया कल्पित मूल धन राशि (लिखत वार) क)	

	ख) ग)	
3	एक्सचेंजों में किये गये लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया कल्पित मूल धन राशि और जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखत वार) क) ख) ग)	
4.	एक्सचेंजों में किये गये लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया राशि का बाज़ार मूल्य और जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखत वार) क) ख) ग)	

2.10 गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे निजी तौर पर शेयर आबंटन के जरिए किये गये निवेशों के जारीकर्ता संघटकों के ब्योरे और अनर्जक निवेशों को तुलन पत्र के `लेखे पर टिप्पणियां' में अनुबंध1 में दिये गये फार्मेट में प्रकट करें ।

2.11 समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

2.11.1 ***समेकन का विस्तार***

समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुतकर्ता मूल संस्था को देशी और विदेशी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) के लेखांकन मानदंड -21 (एएस-21) के तहत जिन्हें विशिष्ट रूप में शामिल न करने की अनुमति दी गयी है ऐसी संस्थाओं को छोड़कर, सभी सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण समेकित करने चाहिए। किसी सहायक कंपनी का समेकन न करने के कारणों को समेकित वित्तीय विवरण में प्रकट करना चाहिए। किसी खास संस्था को समेकन हेतु शामिल किया जाना चाहिए या नहीं यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी मूल संस्था के प्रबंधन की होगी। यदि उसके सांविधिक लेखा परीक्षकों की यह राय है कि ऐसी कोई संस्था जिसे समेकित किया जाना चाहिए था, उसे छोड़ दिया गया है, तो इस बारे में उन्हें "लेखापरीक्षा रिपोर्ट" में अपना अभिमत शामिल करना चाहिए।

2.11.2 ***लेखा नीतियां***

एक समान लेनदेनों और एक जैसी परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखा नीतियों का उपयोग करके समेकित वित्तीय विवरण बनाया जाना चाहिए। (इस प्रयोजन हेतु वित्तीय संस्थाएं सहायक संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दिये गये गैर-एक समान लेखा नीतियों के लिए समायोजन विवरणों पर निर्भर रहें।) यदि यह व्यवहार्य न हो, तो समेकित वित्तीय विवरण में ऐसे मदों के उस अनुपात के साथ तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए जिस अनुपात में भिन्न-भिन्न लेखा नीतियां लागू की गयी हैं।

2.12 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजरों के संबंध में प्रकटन

सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं के जोखिम के प्रति एक्सपोज़र के संदर्भ में अर्थपूर्ण और उचित प्रकटन तथा जोखिम प्रबंधन के लिए उनकी उचित कार्य नीति आवश्यक है। डेरिवेटिव्ज़ में अपने जोखिम एक्सपोज़र के संबंध में वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रकटन हेतु न्यूनतम ढांचा अनुबंध 2 में दिया गया है। प्रकटन फार्मेट में गुणात्मक तथा मात्रात्मक पक्ष शामिल हैं और इसे डेरिवेटिव्ज़ में जोखिमों की तुलना में ऋण आदि निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, उद्देश्यों और नीतियों के संबंध में स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। तुलन पत्र के `लेखे पर टिप्पणियां' के एक भाग के रूप में वित्तीय संस्थाओं को ये प्रकटन 31 मार्च 2005 से शुरू करना चाहिए (राष्ट्रीय आवास बैंक के मामले में 30 जून 2005 से)।

2.13 ऐसे एक्सपोजर जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का उल्लंघन किया है

वित्तीय संस्था को उन एक्सपोजरों के मामले में जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का उल्लंघन किया है अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों के "लेखे पर टिप्पणियां" में उचित प्रकटीकरण करने चाहिए।

2.14 वित्तीय संस्थाओं द्वारा लेखे पर टिप्पणियों के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटीकरण

रिज़र्व बैंक बैंकों के परिचालनों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप व्यापक प्रकटीकरण निर्धारित करते हुए समय-समय पर अनेक उपाय करता आ रहा है।

वित्तीय संस्थाओं को अतिरिक्त प्रकटीकरण अनुबंध 3 में दिए गए निर्धारित फार्मेट में अपने तुलन पत्र के "लेखे पर टिप्पणियों" शीर्ष के अंतर्गत प्रस्तुत करने चाहिए।

2.15 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संवर्ग में रखे गए निवेश की बिक्री

यदि वर्ष के आरंभ में एचटीएम संवर्ग में धारित निवेश के बही मूल्य से 5 प्रतिशत से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियाँ एचटीएम संवर्ग में /से अंतरित/बिक्री की जाती है तो वित्तीय संस्था को एचटीएम संवर्ग में धारित निवेशों का बाजार मूल्य प्रकट करना चाहिए तथा बाजार मूल्य की तुलना में बही मूल्य के आधिक्य को निर्दिष्ट करना चाहिए जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। यह प्रकटीकरण वित्तीय संस्था के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में `लेखे पर टिप्पणियाँ' में किया जाना चाहिए।

टिप्पणियां :

(I) सीआरएआर तथा अन्य मानदंड

वित्तीय संस्थाओं के लिए वर्तमान पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार निर्धारित जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) और अन्य संबंधित मानदंडों को प्रकट किया जाये ।

(II) आस्ति गुणवत्ता और ऋण संकेंद्रण

आस्ति गुणवत्ता और ऋण के संकेंद्रण के प्रयोजन हेतु, ऋण, अग्रिम तथा अनर्जक आस्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित को ध्यान में लिया जाना चाहिए और प्रकटनों में शामिल किया जाना चाहिए :

(i) बांड और डिबेंचर *:* बांडों तथा डिबेंचरों को अग्रिम के रूप में माना जाना चाहिए जब :

- परियोजना वित्त के लिए प्रस्ताव के भाग के रूप में डिबेंचर/बांड का निर्गम किया गया हो और उस डिबेंचर/बांड की अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक हो।

और

- वित्तीय संस्था का निर्गम में उल्लेखनीय (अर्थात् 10% या उससे अधिक) हित निहित हो ।

और

- निर्गम निजी तौर पर शेयर आबंटन का भाग हो अर्थात् उधारकर्ता ने वित्तीय संस्था से संपर्क किया हो और ऐसे सार्वजनिक निर्गम का भाग न हो जहां वित्तीय संस्था ने किसी आमंत्रण पर अभिदान किया हो।

(ii) ***अधिमान शेयर :*** परिवर्तनीय अधिमान शेयरों को छोड़कर अधिमान शेयरों को परियोजना वित्त के भाग के रूप में प्राप्त किया हो और उपर्युक्त (i) में निहित मानदंड को पूरा करता हो।

(iii) ***जमाराशि:*** कंपनी क्षेत्र में रखी गयी जमाराशि ।

(III) **ऋण जोखिम (एक्सपोज़र)**

"ऋण एक्सपोज़र" में निधिक और गैर-निधिक ऋण सीमाएं, हामीदारी और इसी प्रकार की अन्य प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी। ऋण आदि जोखिम की सीमा निश्चित करने के लिए स्वीकृत सीमाओं या बकाया में से जो भी अधिक हो उसे विचार में लिया जाएगा। तथापि, मीयादी ऋणों के मामले में, ऋण आदि जोखिम सीमा की गणना वास्तविक बकाया के आधार पर की जाए जिसमें असंवितरित या अनाहरित प्रतिबद्धताओं को जोड़ा जाये।

तथापि, जिन मामलों में संवितरण शुरू करना अभी बाकी है, एक्सपोज़र सीमा, स्वीकृत सीमा या करार के अनुसार उधारकर्ता कंपनी के साथ वित्तीय संस्था ने जो वायदा किया है उस सीमा तक के आधार पर ऋण आदि जोखिम सीमा की गणना की जानी चाहिए ।

गैर-निधिक ऋण आदि जोखिम सीमा में विदेशी विनिमय और वर्तमान ऋण मानदंडों के अनुसार अन्य डेरिवेटिव्ज़ उत्पाद, जैसे मुद्रा स्वैप, ऑपशंस आदि में वायदा ठेकों को शामिल किया जाना चाहिए ।

(IV) पूंजीगत निधियां

ऋण संकेंद्रण के प्रयोजन हेतु पूंजीगत निधियां पूंजी पर्याप्तता मानदंडों (अर्थात् पूंजी स्तर। और स्तर II) के तहत निर्धारित कुल विनियामक पूंजी होगी ।

(V) उधारकर्ता समूह की परिभाषा

`उधारकर्ता समूह' की परिभाषा वही होगी जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा समूह निवेश मानदंडों के अनुपालन में लागू की जाती है ।

(VI) आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

(राशि करोड ₹ में)

	दिन 1	2 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 28 दिन तक	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक तथा 6 माह तक	6 माह से अधिक तथा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा											
अग्रिम											
निवेश											
उधार											
विदेशी मुद्रा आस्तियां											
विदेशी मुद्रा देयताएं											

(VII) परिचालन परिणाम

परिचालन परिणामों के लिए कार्यशील निधियों और कुल आस्तियों को पिछले लेखा वर्ष की समाप्ति पर, अनुवर्ती छमाही की समाप्ति पर तथा रिपोर्ट के अधीन लेखा वर्ष के अंत में विद्यमान अंकों के औसत के रूप में लिया जाये। ("कार्यशील निधियों" का अर्थ है वित्तीय संस्था की कुल आस्तियां)

(VIII) प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना

प्रति कर्मचारी निवल लाभ को निकालने के लिए सभी संवर्गों के सभी स्थायी, पूर्णकालिक कर्मचारियों को विचार में लिया जाना चाहिए ।

अनुबंध ।

ऋण प्रतिभूतियों में निवेश हेतु जारीकर्ता संघटकों के प्रकटन के लिए फार्मेट

क. **किये गये निवेश के संबंध में जारीकर्ता की श्रेणियां**

(तुलन-पत्र की तारीख को)

						(करोड़ रुपये में)
क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि	राशि			
			निजी तौर पर शेयर आबंटन के जरिए किया गया निवेश	`निवेश श्रेणी के नीचे वाली' धारित प्रतिभूतियां	श्रेणी निर्धारण न की गयी' धारित प्रतिभूतियां	`सूची में शामिल न की गई ' प्रतिभूतियां
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम					
2	वित्तीय संस्थाएं					
3	बैंक					
4	निजी कंपनियां					
5	सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम					
6	अन्य					
7	**#** मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
	कुल ⁕					
# कॉलम **3** में केवल धारित प्रावधान की कुल राशि प्रकट की जाए ।						
⁕ टिप्पणियां **:**						
1. कॉलम **3** का जोड़ तुलन पत्र की निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत शामिल निवेशों के जोड़ के साथ मेल खाना चाहिए **:**						
क. शेयर						
ख. डिबेंचर और बांड						

ग. सहयोगी संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम
घ. अन्य
2. उपर्युक्त कॉलम **4, 5, 6** और **7** में रिपोर्ट की गयी राशियां आवश्यक रूप से परस्पर अनन्य **(**एक्सक्लूसिव**)** नहीं होंगी ।

ख. अनर्जक निवेश

(करोड़ रुपये में)	
विवरण	राशि
आरंभिक शेष	
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौतियां	
अंतिम शेष	
कुल धारित प्रावधान	

अनुबंध - 2

डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र के संबंध में प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटन

वित्तीय संस्थाएं व्युत्पन्न साधनों के संबंध में अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों पर चर्चा करेंगी जो व्युत्पन्न साधनों के उपयोग की मात्रा संबद्ध जोखिम और कारोबार के साध्य प्रयोजनों के विशिष्ट संदर्भ को लेकर होंगी । चर्चा में निम्नलिखित भी शामिल किये जाएंगे :

- व्युत्पन्न साधनों के व्यापार में जोखिम प्रबंधन हेतु ढांचा और संगठन।
- जोखिम के मापन, जोखिम रिपोटिग्ं और जोखिम निगरानी प्रणालियों का विस्तार और स्वरूप।
- प्रतिरक्षा और/या जोखिम कम करने हेतु नीतियां और प्रतिरक्षा/जोखिम कम करनेवाले घटकों के निरंतर प्रभाव की निगरानी हेतु कार्यनीतियां एवं प्रक्रियाएं, और
- प्रतिरक्षा तथा गैर-प्रतिरक्षा के लेनदेन; आय, प्रीमियम और बट्टों का निर्धारण; बकाया ठेकों का मूल्यन; प्रावधानीकरण, संपार्श्विक तथा ऋण जोखिम कम करने के रिकाडिग्ं हेतु लेखा नीति ।

मात्रात्मक प्रकटन

			(करोड़ रुपये में)
क्रम सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न साधन	ब्याज दर व्युत्पन्न साधन
1.	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन)		
	क) हेजिंग के लिए		
	ख) व्यापार के लिए		
2.	प्रतिभूतियों की दैनिक बाज़ार मूल्य स्थिति [1]		
	क) आस्ति (+)		
	ख) देयता (-)		

3.	ऋण एक्सपोज़र [2]		
4.	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)		
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर		
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर		
5.	वर्ष के दौरान अनुपालन किये गये 100*पीवी01 का अधिकतम तथा न्यूनतम		
	क) हेजिंग पर		
	ख) व्यापार पर		

टिप्पणी :

1. डेरिवेटिव के प्रत्येक प्रकार के लिए स्थिति के अनुसार आस्ति या देयता के अंतर्गत निवल स्थिति दर्शायी जाए।

2. वित्तीय संस्थाएं डेरिवेटिव उत्पादों के ऋण एक्सपोज़र की माप पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित चालू एक्सपोज़र पद्धति अपनाएं। अपनायी जानेवाली पद्धति संक्षेप में निम्नानुसार है:

चालू एक्सपोज़र पद्धति के तहत तुलन-पत्र बाह्य ब्याज दर तथा विनिमय दर लिखतों के सममूल्य ऋण एक्सपोज़र की गणना करने के लिए वित्तीय संस्था निम्नलिखित को जोड़ेगी :

- सकारात्मक मूल्यों (अर्थात् जब वित्तीय संस्था को प्रतिपक्ष से धन राशि प्राप्त होनी है) के साथ उसके सभी संविदाओं की कुल प्रतिस्थापन लागत (`बाज़ार मूल्य`, के आधार पर प्राप्त), और
- ऋण एक्सपोज़र में भविष्य में संभावित परिवर्तन के लिए राशि जिसका परिकलन संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के अनुसार निम्नलिखित ऋण परिवर्तक गुणकों द्वारा गुणा की गई संविदा की कुल कल्पित मूलधन राशि के आधार पर किया गया है :

शेष परिपक्वता अवधि	आनुमानिक मूलधन राशि पर लागू किया जानेवाला परिवर्तक घटक	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष से कम	कुछ नहीं	1.0%
एक वर्ष और उससे अधिक	0.5%	5.0%

3॰ डेरिवेटिव संविदाओं में प्रतिपक्षी ऋण एक्सपोजर के कारण बाजार दर पर आधारित मूल्यों (एमटीएम) की द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः, वित्तीय संस्थाओं को पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों के लिए ऐसी संविदाओं के बाजार दर पर आधारित सकाल धनात्मक मूल्य को ही गणना में शामिल करना चाहिए।

अनुबंध-3

अतिरिक्त प्रकटीकरण

1. प्रावधान और आकस्मिकताएं

वित्तीय विवरणों को पठनीय बनाने के लिए तथा सभी प्रावधानों और आकस्मिकताओं के संबंध में सूचना एक जगह उपलब्ध कराने के लिए बैंकों से अपेक्षित है कि वे `लेखे पर टिप्पणियां' में निम्नलिखित सूचना प्रकट करे :

		(राशि करोड ₹ में)
लाभ- हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत `प्रावधान और आकस्मिकताएं' के ब्यौरे	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
अनर्जक आस्ति हेतु प्रावधान		
आयकर हेतु किया गया प्रावधान		
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (ब्योरे सहित)		

2. अस्थायी प्रावधान

बैंकों को तुलन पत्र में `लेखे पर टिप्पणियाँ' में निम्नलिखित के संबंध में अस्थायी प्रावधानों के बारे में व्यापक प्रकटीकरण करने चाहिए :

		(राशि करोड ₹ में)
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) अस्थायी प्रावधान खाते में अथ शेष,		
(ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा		

(ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा की गयी कमी की राशि		
(घ) अस्थायी प्रावधान खातें में इति शेष।		
टिप्पणी : लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा की गयी कमी के प्रयोजन का उल्लेख किया जाए।		

3. आरक्षित निधि में कमी

आरक्षित निधि में कोई कमी (ड्रा डाउन) हुई हो तो उसका तुलनपत्र में `लेखे पर टिप्पणियां' में उपयुक्त प्रकटीकरण किया जाए।

4. शिकायतों का प्रकटीकरण

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपने वित्तीय परिणामों के साथ निम्नलिखित के संक्षिप्त ब्यौरे प्रकट करें :

क. ग्राहक शिकायतें

(क)	वर्ष के प्रारंभ में अनिर्णीत शिकायतों की संख्या	
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	
(ग)	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की संख्या	
(घ)	वर्ष के अंत में अनिर्णीत शिकायतों की संख्या	

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिये गये अधिनिर्णय

(क)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या	
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिये गये अधिनिर्णयों की संख्या	

(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या	

5. बैंकों द्वारा जारी आश्वासन पत्रों (लेटर ऑफ कम्फर्ट) का प्रकटीकरण

बैकों को अपने प्रकाशित वित्तीय विवरणों में `लेखे पर टिप्पणियों' के भाग के रूप में उनके द्वारा वर्ष के दौरान जारी सभी आश्वासन पत्रों का पूर्ण विवरण, उनका अनुमानित वित्तीय प्रभाव तथा उनके द्वारा अतीत में जारी तथा अभी भी बकाया आश्वासन पत्रों के अन्तर्गत उनके अनुमानित संचयी वित्तीय दायित्व का प्रकटीकरण करना चाहिए।

6. **प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात (पीसीआर)**

तुलन पत्र के लेखे पर टिप्पणी में पीसीआर (सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में प्रावधानीकरण का अनुपात) प्रकट किया जाना चाहिए ।

7. बैंक एश्योरेंस कारोबार

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष से बैंकों को `लेखे पर टिप्पणी' में उनके द्वारा किये गये बैंक एश्योरेंस कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक के ब्यौरे प्रकट करने चाहिए ।

8. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़रों और एनपीए का संकेंद्रण

8.1 जमाराशियों का संकेंद्रण

	(राशि करोड़ ₹ में)
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	

8.2 अग्रिमों का संकेंद्रण *

	(राशि करोड़ ₹ में)
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	
* अग्रिमों की गणना, एक्सपोज़र संबंधी मानदंडों पर हमारे मास्टर परिपत्र में डेरिवेटिव सहित क्रेडिट एक्सपोज़र की दी गई परिभाषा के अनुसार की जानी चाहिए।	

8.3 एक्सपोज़र का संकेंद्रण**

	(राशि करोड़ ₹ में)
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोज़र	
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के प्रति एक्सपोज़र का प्रतिशत	
** एक्सपोज़र की गणना, एक्सपोज़र संबंधी मानदंडों पर हमारे मास्टर परिपत्र में वर्णित ऋण और निवेश एक्सपोज़र के आधार पर की जानी चाहिए ।	

8.4 अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

	(राशि करोड़ ₹ में)
चार शीर्षस्थ अनर्जक आस्ति खातों में कुल एक्सपोज़र	

9. **क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां**

क्रम सं.	क्षेत्र	संबंधित क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	
2	उद्योग (माइक्रो और लघु, मझौले और बड़े)	
3	सेवाएं	
4	वैयक्तिक ऋण	

10 **अनर्जक आस्तियों में घटबढ़**

इसके अलावा, एआईएफआई तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए (राइट-आफ) के स्टाक और इन पर हुई वसूली को निम्नलिखित प्रारूप में प्रकट करे :

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों का आरंभिक शेष		
जोडे : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए		
उप जोड़ (क)		
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए खातों में हुई वसूली (ख)		
31 मार्च को इति शेष (क - ख)		

[1] सकल एनपीए, 24 सितंबर 2009 के बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.46/21.04.048/2009-10 के अनुबंध की मद 2 के अनुसार, जिसमें सकल अग्रिमों, निवल अग्रिमों, सकल एनपीए तथा निवल एनपीए की गणना के लिए एकरूप पद्धति बताई गई है।

[2] तकनीकी अथवा विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डालना अनर्जक ऋणों की वह राशि है जो शाखाओं की बहियों में बकाया है परंतु प्रधान कार्यालय स्तर पर उन्हें बट्टे खाते (पूर्णत: या अंशत:) डाला गया है। तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले जाने की राशि सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए। (बीपी प्रभाग के अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण सुरक्षा संबंधी 1 दिसंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.04.048/2009-10 में परिभाषित)

11. विदेश स्थित आस्तियां, एनपीए और राजस्व

(राशि करोड़ रुपये में)	
विवरण	
कुल आस्तियां	
कुल एनपीए	
कुल राजस्व	

12. प्रायोजित तुलनपत्रेतर एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना चाहिए)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	विदेश स्थित

13. अपरिशोधित पेंशन तथा उपदान (ग्रेच्युटी) देयताएं

पेंशन तथा उपदान (ग्रेच्युटी) देयता व्यय के परिशोधन के संबंध में अपनाई जाने वाली लेखापद्धति नीति का समुचित प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के लेखे पर टिप्पणियों के अंतर्गत किया जाए।

14. (हटाया गया)

15. **प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटीकरण**

ओरिजिनेटिंग बैंकों के लेखे पर टिप्पणियों में बैंक द्वारा प्रवर्तित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतीकृत आस्तियों तथा तुलनपत्र की तिथि के अनुसार बैंक द्वारा धारित एक्सपोजरों की कुल राशि निर्दिष्ट होनी चाहिए ताकि न्यूनतम धारण अपेक्षा (एमआरआर) का अनुपालन हो। ये आंकड़े ओरिजिनटिंग बैंक द्वारा एसपीवी से प्राप्त सूचना पर आधारित होने चाहे, जिसे एसपीवी के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। ये प्रकटीकरण निम्नलिखित फॉर्मेट में किए जाने चाहिए।

क्र. सं.	ब्यौरा		सं./ राशि करोड़ ₹ में
1.	प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रवर्तित एसपीवी की सं.*		
2.	बैंक द्वारा प्रवर्तित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतीकृत अस्तियों की कुल राशि		
3.	तुलनपत्र की तारीख को एमआरआर के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा धारित एक्स्पोज़र की कुल राशि.		
	क)	तुलनपत्रेतर एक्स्पोज़र	
		प्रथम हानि	
		अन्य	
	ख)	तुलपत्र में दर्शाया गया एक्स्पोज़र	
		प्रथम हानि	
		अन्य	

4.	एमआरआर को छोड़कर अन्य प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के प्रति एक्स्पोज़र की राशि		
	क)	तुलनपत्रेतर एक्स्पोज़र	
		i)अपने प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्स्पोज़र	
		प्रथम हानि	
		अन्य	
		ii) थर्ड पार्टी प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्स्पोज़र	
		प्रथम हानि	
		अन्य	
	ख)	तुलनपत्र में दर्शाया गया एक्सपोजर	
		i) अपने प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्स्पोज़र	
		प्रथम हानि	
		अन्य	
		ii)थर्ड पार्टी प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्स्पोज़र	
		प्रथम हानि	
		अन्य	
*केवल बकाया प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित एसपीवी के बारे में ही सूचना दी जाए।			

16. **क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप**

सीडीएस के मूल्य-निर्धारण के लिए स्वामित्व मोडेल का प्रयोग करने वाले बैंक लेखे पर टिप्पणियों में वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार स्वामित्व मोडेल मूल्य और मानक मोडेल मूल्य - दोनों प्रकट करें और एक मोडेल के बजाय दूसरे मोडेल के प्रयोग के औचित्य को भी स्पष्ट करें।

अनुबंध-4

भाग क: अधिक्रमण किए गए परिपत्रों तथा अनुदेशों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	डीबीएस.एफआइडी.सं.सी-18/01.02.00/2000-01	23.03.2001	प्रकाशित वित्तीय विवरणों में प्रकटन
2.	डीबीएस.एफआइडी.सं.सी-14/01.02.00/ 2001-02	08.02.2002	प्रकाशित वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त प्रकटन
3.	बैंपविवि.सं.एफआइडी.एफआइसी1/01.02.00/ 2004-05	26.04.2005	व्युत्पन्न साधनों (डेरिवेटिव्ज़) में जोखिम निवेश पर प्रकटन
4.	बैंपविवि.सं.एफआइडी.एफआइसी -2/01.02.00/2006-07	01.07.2006	मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड
5.	बैंपविवि.सं.एफआइडी.एफआइसी -2/01.02.00/2007-08	02.07.2007	मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड

भाग ख:प्रकटीकरण मानदंडों से संबंधित अनुदेश/दिशानिर्देश/निर्देशों के अन्य परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1	डीबीएस.एफआइडी.सं.20/02.01.00/1997-98	04.12.1997	एकल/सामूहिक उधारकर्ताओं को मीयादी ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं के ऋण निवेश संबंधी सीमाएं
2	एमपीडी.बीसी.187/07.01.279/1999-2000	07.07.1999	वायदा दर करार/ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप)
3	डीबीएस.एफआइडी.सं.सी-9/01.02.00/2000-01	09.11.2000	दिशानिर्देश - निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यन
4	डीबीएस.एफआइडी.सं.सी-19/01.02.00/2000-01	28.03.2001	पुनर्रचित खातों के संबंध में व्यवहार

5	डीबीएस.एफआइडी.सं.सी-26/01.02.00/2000-01	20.06.2001	मौद्रिक और ऋण नीति उपाय - 2001-02- ऋण एक्सपोज़र मानदंड
6	डीबीएस.एफआइडी.सं.सी-2/01.11.00/2001-02	25.08.2001	कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर)
7	डीबीएस.एफआइडी.सं.सी-6/01.02.00/2001-02	16.10.2001	निवेश के वर्गीकरण और मूल्यन के लिए दिशानिर्देश-आशोधन/ स्पष्टीकरण
8	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.96/21.04.048/2002-03	23.04.2003	प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश
9	आइडीएमसी.एमएसआरडी.4801/06.01.03/2002-03	03.06.2003	विनिमय व्यापार वाले ब्याज दर व्युत्पन्न साधनों पर दिशानिर्देश
10	डीबीएस.एफआइडी.सं.सी-5/01.02.00/2003-04	01.08.2003	समेकित लेखा-प्रणाली तथा समेकित पर्यवेक्षण हेतु दिशानिर्देश
11	डीबीएस.एफआइडी.सं.सी-11/01.02.00/2003-04	08.01.2004	वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश पर अंतिम दिशानिर्देश
12	बैंपविवि.सं.एफआइडी.एफआइसी.8/01.02.00/2009-10	26.3.2010	लेखे पर टिप्पणियों में अतिरिक्त प्रकटीकरण
13	बैंपविवि.सं.एफआइडी.एफआईसी8/01.02.00/2009-10	26.3.2010	अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - एनपीए स्तरों की गणना
14	बैंपविवि.सं.एफआइडी.एफआइसी5/01.02.00/2010-11	18 अगस्त 2010	परिपक्वता तक धारित संवर्ग के अंतर्गत धारित निवेश की बिक्री
15	बैंपविवि.सं.एफआइडी.एफआइसी8/01.02.00/2010-11	2 नवंबर 2010	बैंकों के तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़रों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड -काउंटरपार्टी ऋण एक्सपोज़रों की द्विपक्षीय नेटिंग
16	बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.99/21.04.132/2012-13	30 मई 2013	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा

			अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा
17	बैंपविवि.सं.एफआइडी.एफआइसी.सं 5/01.02.00/2012-13	17 जून 2013	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की संरचना के संबंध में विवेकपूर्ण दिशानिर्देश
18	बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.97/21.04.132/2013-14	26 फरवरी 2014	अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा - संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तथा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी)के संबंध में दिशानिर्देश
19	बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.98/21.04.132/2013-14	26 फरवरी 2014	अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा - परियोजना ऋणों का पुनर्वित्तीयन, एनपीए की बिक्री और अन्य विनियामक उपाय
20	बैंविवि.एफआईडी.सं.5/01.02.000/2014-15	10 जून 2015	प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री और संबंधित मुद्दों पर दिशानिर्देश